न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 531/2020, जीसीएमएस संख्या 2020/00765

1. हनुमान सिंह पुत्र सब्बल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम धुंवालिया तहसील फागी जिला जयपुर ।
2. मोहन सिंह पुत्र फूल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम धुंवालिया तहसील फागी जिला जयपुर ।
3. रामसहाय पुत्र विजलाल जाति जाट निवासी ग्राम मण्डप तहसील फागी जिला जयपुर

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. रोडू पुत्र भूरा जाति जाट निवासी ग्राम धुंवालिया तहसील फागी जिला जयपुर
2. रोडू पुत्र चन्दा जाति जाट निवासी ग्राम धुंवालिया तहसील फागी जिला जयपुर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार फागी जिला जयपुर ।

—रेस्पोंडेन्ट्स

4. छीतर पुत्र रामनाथ (फौत नाम हजफ)

—तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत घाटा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम निर्णय दिनांक 25/05/2015 न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर द्वितीय जयपुर मुकदमा नम्बर 11/2009 उनवानी आम जनता वगैरा बनाम रोडू वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) कृषि भूमि आवंटन आदेश दिनांक 9/05/1964 के बाबत्

उपस्थित—

1. श्री हनुमान सिहाग वकील अपीलान्ट
2. श्री हनुमान प्रसाद चौधरी वकील रेस्पो0 1 की ओर से
3. राजकीय अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल रेस्पोडेण्ट नं. 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक —13.05.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर के निर्णय दिनांक 20.05.2015 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, द्वितीय जयपुर के समक्ष प्रार्थीगण ने एकप्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) इस आशय के साथ पेश किया कि वाके ग्राम धुवालिया तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 540/3 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा भूमि कारेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 09.05.64 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, द्वितिय जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.05.2015 को प्रार्थना पत्र14 (4) को खारिज कर आवंटन आदेश दिनांक 09.05.64 को बहाल रखे जाने के आदेश दिये गये।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. अति0 जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 25.05.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट हनुमान सिंह पुत्र सब्बल सिंह द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णयअति0 जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर दिनांक 25.05.2015एवं आवंटन आदेश दिनांक 09.05.64 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम धुवालिया तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 540/3 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा भूमि का आवंटन रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 09.05.64 को किया गया।रोडू पुत्र चन्दा जाति जाट निवासी धुवालिया ने अपने आपको रोडू पुत्र भूरा बताकर धोखे व कपटपूर्वक तथाकथित आवंटन दिनांक 09/05/1964 मिसल नम्बर 27 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में करवा लिया। जबकि ग्राम धुवालिया में रोडू पुत्र भूरा नाम का कोई व्यक्ति नही हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रोडू पुत्र चन्दा ने ही तहसीलदार फागी से मिलकर रोडू पुत्र भूरा के नाम से फर्जी व कपटपूर्वक तथाकथित आवंटन आदेश की आड में राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टियां करवा ली हैं, जो कानूनन गलत हैं। उक्त व्यक्ति रोडू पुत्र चन्दा भूमिहीन व्यक्ति नही हैं, एवं आवंटन के समय रोडू पुत्र चन्दा नाबालिग था। इसलिए नाबालिग होने एवं कपट व छलपूर्वक उक्त तथाकथित आवंटन आदेश की पत्रावली रिकार्ड में जमा नही हैं। लिहाजा ऐसी परिस्थतियों में तथाकथित आवंटन कानूनी एवं न्यायिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण प्रारम्भ से शून्य है।अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आवंटन के समय आयु 10 वर्ष 2 माह थी, स्पष्ट है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से वर्ष 2013 में बनवाई गई वोटर लिस्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की उम्र सही मानकर निर्णय पारित किया है।रोडू पुत्र भूरा के जो भी दस्तावेज रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा बनवाये गये हैं वो माननीय अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र 14 (4) प्रस्तुत होने के बाद में बनवाये गये हैं। इसलिए उक्त दस्तावेज राशनकार्ड, वोटरलिस्ट को रिकार्ड पर नही लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट के कथनों के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों की जॉच व अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर द्वितिय जयपुर दिनांक 25.05.2015 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील मीमो में अंकित तथ्यों का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 रोडू जो कि चन्दा का जायन्दा पुत्र तथा स्वर्गीय भूरा जो कि उसका सगा दादा था वह नाऔलाद होने के कारण अपने जीवन काल में प्रार्थी को गोद ले लिया। इस प्रकार चन्दा की चल अचल सम्पत्ति से रोडू का कोई सम्बन्ध नहीं रहा तथा रोडू स्वर्गीय भूरा का एकमात्र वारिस एवं उत्तराधिकारी होने से उसको दिनांक 09.06.1964 को उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 540 में से 13 बीघा 19 बिस्वा का आवंटन होकर नामान्तकरण संख्या 134 दिनांक 12.06.1966 को गैर खातेदारी का अधिकार प्राप्त हुआ और नामान्तकरण संख्या 242 दिनांक 15.06.1975 को रेस्पोडेन्ट रोडू पुत्र भूरा को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। इस प्रकार आवंटी रोडू पुत्र भूरा ने आवंटन के लिए कोई फ्राड एवं मिस रिप्रजेन्टेशन एवं आवंटन रूल की कोई अवहेलना नहीं की है बल्कि विगत 60 वर्षो से आज तक रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 रोडू पुत्र भूरा उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है जिसकी खसरा गिरदावरी समत 2022 से 2069 तक की प्रेश की है,

संभागीय आयुक्त
जयपुर

उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने पुख्ता मकान विगत 20 वर्ष पूर्व ही बनाकर अपने परिवार सहित निवास कर रहे है । रेस्पोडेन्ट के पास एकमात्र जीविकोपार्जन का साधन उक्त भूमि है । उक्त भूमि खसरा नम्बर 540 रकबा 57 बीघा 19 बिस्वा सिवाय चक थी। जिसमें से दिनांक 09.05.1964 को रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 रोडू पुत्र भूरा के साथ एक ही दिन में 15 बीघा भगवत सिंह को 12 बीघा, मंगल जाट, 13 बीघा 19 बिस्वा मुझ रेस्पोडेन्ट, 12 बीघा श्रवण को व 5 बीघा स्वयं तनतीबी रेस्पोडेन्ष्ट छीतर के पिता स्वर्गीय गंगाराम व नाप रामसाथ को आवंटन किया जिसके आधार पर सभी को नामान्तकरण संख्या 131, 132, 133, 134 व 135 दिनांक 12.06.1966 को सभी आवंटियों के गैर खातेदारी के नामान्तकरण मजमे आम में स्वीकार हुए। मिन रेस्पोडेन्ट रोडू के गोद जाने की पुष्टि में बड़वा की प्रस्तुत वंशावली प्रमाण पत्र पंचायत समिति फागी प्रधान, उपसरपंच व वार्ड पंचों की रिपोर्ट से स्पष्ट होती है । चन्दा की विरासत का नामान्तकरण उसके दूसरे पुत्र गंगाराम के नाम से ही खोला है। इसके सम्बन्ध में गंगाराम पुत्र चन्दा उम्र 64 वर्ष दिनांक 28.05.2013 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। निर्वाचन नामावली क्रमांक 155 पर रोडू पुत्र भूरा उम्र 68 वर्ष दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि आवंटन के समय रोडू नाबालिग नहीं था। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन के लगभग 50 वर्ष बाद गलत तरीके से हैरान–परेशान की नियत से पेश किया हैऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर दौसा उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, द्वितिय जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.05.2015 में सभी तथ्यों एवं दस्तावेजात का अवलोकन कर लगभग 50 वर्ष बाद पेश प्रार्थना पत्र 14 (4) को खारिज कर आवंटन आदेश दिनांक 09.05.64 को बहाल रखे जाने के उचित आदेश दिये गये। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर द्वितिय जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में मूल विवाद ग्राम धुवालिया तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 540/3 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा भूमि का रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 09.05.64 को लेकर है जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा लगभग 50 वर्ष बाद अति0 जिला कलक्टर, द्वितिय जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र 14(4) पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र 14(4) निरस्त करने के आदेश दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 540 में से 13 बीघा 19 बिस्वा का आवंटन होकर नामान्तकरण संख्या 134 दिनांक 12.06.1966 को गैर खातेदारी का अधिकार प्राप्त हुआ और नामान्तकरण संख्या 242 दिनांक 15.06.1975 को रेस्पोडेन्ट रोडू पुत्र भूरा को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। जिसके पश्चात् विगतविगत 60 वर्षो से आज तक रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 रोडू पुत्र भूरा उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है जिसकी खसरा गिरदावरी सम्वत 2022 से 2069 पेश की गई है।ऐसे में यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी को विगत 40 वर्ष पूर्व ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लगभग 50 वर्ष बाद आपत्ति पेश करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् ही सभी खसरा गिरदावरी, निर्वाचन नामावली 2013, आवंटन शर्तो के अवलोकन पश्चात्ही रेस्पो संख्या 1 के पक्ष मे किये गये आवंटन आदेश दिनांक 09.05.1964 को सही मानते हुये प्रार्थना पत्र 14(4) निरस्त करने के आदेश दिये

संभागीय आयुक्त
जयपुर

गये हैं। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है। अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समक्षते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, द्वितिय जयपुर का निर्णय दिनांक 25.05.2015 यथावत रखा जाता है।

(अ[illegible] मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।